26-8-15

30/09/15 वकील प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण के समक्ष तामीलशुदा प्राप्त। विपक्षीगण बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित। विपक्षीगण को कोर्ट समय में तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गई। विपक्षीगण बावजूद आवाजें दिलाने के अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थी से एक पक्षीय बहस सुनी गई। निर्णय अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

सहायक कलक्टर
SDO (गुडामालानी

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) गुडामालानी

पीठासीन अधिकारी श्री नाथूसिंह राठौड़ आर.ए.एस.

करण संख्या : 133/2015

प्रार्थीगण

1. चम्पालाल पुत्र भंवरा जाति पुरोहित निरवासी डेर पाना (भूका भगतसिंह) तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. भंवरा पुत्र मेहरा
2. निम्बसिंह पुत्र भंवरा
   जाति पुरोहित निवासी डेर पाना (भूका भगतसिंह) तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
3. तहसीलदार सिणधरी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :

1. **श्री बाबूलाल विश्नोई अधिवक्ता प्रार्थी**

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 30.09.2015

प्रस्तुत प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण 1 से 2 एक ही परिवार के सदस्य हैं व हिन्दू विधि से शासित होते है तथा प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 2 सगे भाई है तथा प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 2 विप्रार्थी संख्या 1 के जांयदा पुत्र है तथा प्रार्थी व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 एक ही पूर्वज मेहरा के वंशज हैं प्रार्थी एवं विप्रार्थीसंख्या 1 से 2 के पैतृक संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा डेर पाना पटवार क्षेत्र भूकां भगतसिंह में खसरा नम्बर 96/2 रकबा 46.17 बीघा की आई हुई है। वक्त भू–पैमाईश के समय उक्त भूमि का पर्चा लगान मेहरा के नाम जारी हुआ तथा मेहरा के फौत होने पर उनके विधिक उत्तराधिकारी पुत्र भंवरा विप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुऐ। वादग्रस्त समस्त भूमि विप्रार्थी संख्या 1 को अपने पिता स्व0 मेहरा से पैतृक सम्पति के रूप में प्राप्त हुई है तथा वादग्रस्त भूमि पैतृक होने से वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा तथा विप्रार्थी संख्या 1 से 2 का भी 1/3–1/3 हिस्सा पैतृक खातेदारी का है।

विप्राथी संख्या 1 से 2 प्रार्थी से ईर्ष्यापूर्ण व्यवहार रखते हैं एवं विप्रार्थी संख्या 1 वृद्धावस्था में होने के कारण विप्रार्थी संख्या 2 के साथ रहते हुऐ विप्रार्थी संख्या 2 के प्रभाव के कारण उनके पुत्र प्रेम के कारण तथा वर्तमान में भूमि की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण विप्रार्थी संख्या 2 विप्रार्थी संख्या 1 को लालच एवं प्रलोभन देकर प्रार्थी की जानकारी के बिना वादग्रस्त आराजी में विप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से की भूमि का हस्तातन्तरण अपने नाम से करवाने पर आमादा है तथा प्रार्थी को उसकी पैतृक व सहदायिकी भूमि से वंचित करना चाहते हैं। यदि विप्रार्थी संख्या 2 अपने नाजायज मकसद में कामयाब हो गया तो प्रार्थी को अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि से हमेशा के लिये वंचित होना पडेगा जिससे प्रार्थी को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में संभव नहीं है। अतः विप्रार्थीगण को दौराने दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

सहायक कलक्टर
SDO (गुडामालानी

Scanned by CamScanner

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 22.07.2015 को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दौराने दावा उक्त वादग्रस्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया गया। चूंकि वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थी की पैतृक व सहदायिकी की भूमि है, मौके पर कब्जा काश्त प्रार्थी का है, जिससे प्रार्थी निषेधाज्ञा पाने की अधिकारी है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है और अगर निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी।

अब इस न्यायालय को तय यह करना है कि क्या प्रार्थी उक्त वादग्रस्त आजारी में विरूद्ध विप्रार्थीगण निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है। पत्रावली के अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी विप्रार्थी का पुत्र होने एवं उक्त वादग्रस्त आराजी पैतृक होने से उक्त विवादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का हक निहित है। चूंकि विप्रार्थीगण द्वारा भी द्वारा भी इसका कोई विरोध नहीं किया है। अतः प्रथम दृष्टया प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विरूद्ध विप्रार्थीगण दौराने दावा इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि विप्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि मौजा डेर पाना पटवार क्षेत्र भूका भगतसिंह के खसरा नम्बर 96/2 रकबा 46.17 बीघा किस्म बारानी दोयम में प्रार्थीगण के हक हिस्से में वाद के निस्तारण तक बेचान आदि न करे व मौके व रेकर्ड की यथास्थिति कायम रखे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो। खर्चा हर्जा प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण अपना अपना स्वयं वहन करें।

आदेश आज दिनांक 30.09.2015 करे खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30.9.15

(नाथूसिंह राठौड़)
सहायक कलक्टर
(S.D.O) गुडामालानी
सहायक कलक्टर
SDO (गुडामालानी)

Scanned by CamScanner